भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **206**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

206. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में उर्वरकों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा देश में उर्वरकों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(घ) क्या उर्वरकों के मूल्यों में इस तीव्र वृद्धि से देश में वहनीय मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) देश के घरेलू बाजार में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (ग): किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है।

सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है और अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। एनबीएस के तहत सब्सिडी दरें निर्धारित करते समय सरकार अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों को खरीदने के लिए किसानों की वहनीयता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में

रखती है। मूल्यों को नियंत्रित करने और किसानों को पीएण्डके उर्वरकों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों और उनकी कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की निगरानी की जाती है और सब्सिडी दरों की आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जाती है और यह समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं। पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अंतर्गत अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों के लिए औसत एमआरपी कमोबेश समान रही हैं। 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (30.01.2024) के लिए एनबीएस के तहत अधिसूचित सबसे अधिक खपत वाले पीएंडके उर्वरकों की 50 किलोग्राम बोरी की ग्रेड-वार औसत एमआरपी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**एनपीके उर्वरक ग्रेड**	**50 कि. ग्रा. बोरी की औसत एमआरपी (रुपये में)**		
		2021-22	2022-23	2023-24 (30.01.2024 तक)
1	डीएपी (18-46-0-0)	1250.20	1347.00	1350.00
2	एमओपी (0-0-60-0)	1166.90	1707.40	1710.40
3	एसएसपी (0-16-0-11)	354.75	501.80	526.80
4	एनपीके 10-26-26	1487.55	1488.05	1469.70
5	एनपीके 12-32-16	1436.65	1578.10	1497.90
6	एनपीके 20-20-0-13	1232.65	1402.30	1256.80

(घ) और (ड.): प्रश्न नहीं उठता।

(च): जैसाकि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है जारी रबी 2023-24 मौसम के दौरान उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और पीएंडके की उपलब्धता सहज रही हैं:

रबी 2023-24 (29/01/2024 तक) के लिए अखिल भारत स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्रम सं.	**उत्पाद**	**रबी 2023-24 के लिए मौसमी आवश्यकता**	**01/10/2023 से 29/01/2024 तक यथानुपात आवश्यकता**	**01/10/2023 से 29/01/2024 तक उपलब्धता**	**01/10/2023 से 29/01/2024 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**29/01/2024 तक शेष स्टॉक**
1	**यूरिया**	**185.41**	**146.28**	**195.25**	**131.30**	**63.95**
2	**डीएपी**	**54.99**	**47.61**	**53.10**	**38.78**	**14.31**
3	**एमओपी**	**12.60**	**9.41**	**13.21**	**6.13**	**7.08**
4	**एनपीकेएस**	**63.60**	**48.16**	**73.87**	**40.41**	**33.46**

(च): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। देश भर के राज्यों (ग्रामीण जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों सहित) में उर्वरकों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजनाएं जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक वेब आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तथापि, राज्य के भीतर फील्ड आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरकों का अंतर/अंत:-जिला वितरण संबंधित राज्य द्वारा किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयों को स्थापित किया गया है। ये मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई; रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई; और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हैं। इन इकाइयों में प्रत्येक इकाई की संस्थापित यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अत: इन इकाइयों ने मिलकर देश की वर्तमान स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटी प्रतिवर्ष की वृद्धि की है जोकि वर्तमान में 283.74 एलएमटी है। कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से 12.7 एलएमटी प्रतिवर्ष के नए ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र की स्थापना करके एफसीआईएल की तलचर इकाई के पुनरुद्धार हेतु 28 अप्रैल, 2021 को एक विशेष नीति अधिसूचित की गई है।

इसके अतिरिक्त, पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं और कंपनियां अपने व्यवसाय संबंधी उतार-चढ़ाव (बिजनेस डायनामिक्स) के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त अनुरोधों की जांच के आधार पर, उर्वरक कंपनियों को उनकी विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने एवं विनिर्माण को बढ़ाने की दृष्टि से एनबीएस के अंतर्गत नई पीएण्डके कंपनियों और उनके उर्वरक उत्पादों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। किए गए अन्य उपाय निम्नलिखित हैं-

(i) शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, को बढ़ावा देने के लिए 13.10.2021 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है।

(ii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, पर मालभाड़ा सब्सिडी को खरीफ और रबी 2023-24 के लिए लागू किया गया है ताकि मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा "पी" पोषकतत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

******